बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक सं0 . – 9/निधि–स्कीम (0101–पुल प्रक्षेत्र)–02–10/2026– पटना, दिनांक –

सेवा में, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग (मु0), (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषयः मॉग सं0–41 के मुख्य शीर्ष– 5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष– 03– राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–101–सेतु, उपशीर्ष–0101–पुल, विपत्र कोड– 41–5054031010101, विषय शीर्ष– 0101.53.01– मुख्य निर्माण कार्य मद एवं विषय शीर्ष – 0101.53.02– भू–अर्जन मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेशः चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं0–7 में अंकित मॉग पत्र के आलोक मे निगम को आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं0– 5 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹ 95,25,55,000/– (पनचानवे करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार रूपये)** मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित निगम को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2026–27 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं0–6 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय–व्यय 2026–27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

3. यह व्यय मांग संख्या– 41 के मुख्य शीर्ष–5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष–101–सेतु, उप शीर्ष–0101–पुल, विपत्र कोड– 41–5054031010101, विषय शीर्ष– 0101.53.01– मुख्य निर्माण कार्य एवं एवं विषय शीर्ष – 0101.53.02– भू–अर्जन मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561/वि०(2) दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 236/वि० दिनांक– 09.03.2026 एवं पत्रांक–314 /वि० दिनांक–01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक – 586 दिनांक– 26.05.2026 में अंकित दिशा–निर्देश के आलोक में कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाय, जितना तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो तथा किसी रूप में राशि की निकासी कर बैंक खाते में Park नहीं किया जाय।

6. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक–एम0–4–53/2007–6439 दिनांक–28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।

7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

8. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।

9. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।

10. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं0– 6191 (एस) दिनांक– 08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।

11. आवंटन विवरणी के क्रम सं0–01 एवं क्रम सं0–02 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना। CFMS के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या– 242 (old जमा खाता नं0– PTCPLA011, विपत्र कोड– K8448001200018 में पुरस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।

12. चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 15.02.2027 तक अवश्य कर दिया जाय।

13. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रहीं है।

(अंजनी कुमार)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0 : – 9/निधि–स्कीम (0101–पुल प्रक्षेत्र)–02–10/2026– 96(s)(Part) पटना, दिनांक – 21/10/26

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / सचिव कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (अनु0), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / संयुक्त सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता (बजट), पथ निर्माण विभाग / कार्यपालक अभियंता (बजट), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (बजट), प0नि0वि0, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), पटना / आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–9 एवं प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका सं0 : – 9/निधि–स्कीम (0101–पुल प्रक्षेत्र)–02–10/2026– 96(s)(Part) पटना, दिनांक – 21/10/26

(राशि रूपये में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग(मु0) के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के लिए	0101.53.01	386,50,00,000	86,25,55,000	472,75,55,000	BRPNNL - 2788 / 16.10.2026
योग			**386,50,00,000**	**86,25,55,000**	**472,75,55,000**	

आई॰टी॰मैनेजर

आवंटन विवरणी

संचिका सं0 : – 9/निधि–स्कीम (0101–पुल प्रक्षेत्र)–02–10/2026– 96(5)dated पटना, दिनांक – 21/10/26

(राशि रूपये में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग(मु0) के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के लिए	0101.53.02	0	9,00,00,000	9,00,00,000	BRPNNL - 2519 / 23.09.2026
योग			**0**	**9,00,00,000**	**9,00,00,000**	
कुल योग			**386,50,00,000**	**95,25,55,000**	**481,75,55,000**	
वर्त्तमान आवंटन (शब्दों में) पनचानवे करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र।						

अंजनी कुमार 21/10/26

(अंजनी कुमार)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

21.10.2026

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।